तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए
20/12/18	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उप0। पत्रावली वास्ते तनकीयात / अतिरिक्त बहस हेतु दि0 24-1-19 को पेश हो। [illegible]	वादी [illegible] प्रतिवादीगण [illegible]
24.1.19	पत्रावली पेश हुई, वकील उभयपक्ष उपस्थित। बहस उभयपक्ष सुनी गई। उभयपक्ष अधिवक्ता ने प्रकरण धारा 88 तक स्वीकार किये जानें के कथन किये। बाद बहस पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन किया गया तथा प्रस्तुत प्रकरण के सम्बन्ध में विधिक विचारण किया गया। विवादित आराजी वाके ग्राम जालिमपुरा तहसील दीगोद स्थित जमाबंदी सं0 2067–70 खाता नं0 87 पर स्थित ख0नं0 109 रकबा 2.71 हे0, ख0नं0 114 रकबा 0.75 हे0, ख0नं0 176 रकबा 1.26 हे0, ख0नं0 176/450 रकबा 0.70 हे0, ख0नं0 665/175 रकबा 0.86 हे0 कुल किता 5 रकबा 6.28 हे0 भूमि प्रतिवादी नं0 1 की खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड है। पूर्व में उक्त भूमि बंशीलाल पुत्र बुद्धालाल बोहरा की खातेदारी में दर्ज थी। नामा0 सं0 171 दिनांक 05.01.2004 से खाता सं0 42 सं0 2059–62 पर स्थित आराजी का विभाजन किया गया। उक्त विभाजन में विवादित भूमि प्रतिवादी नं0 1 की खातेदारी में दर्ज की गई। इस प्रकार प्रकरण में यह तय है कि विवादित आराजी पैतृक है जो विभाजन में प्रतिवादी नं0 1 को प्राप्त हुई है। प्रस्तुत प्रकरण में वादी द्वारा विवादित आराजी के सम्बन्ध में धारा 53–88 आरटीएक्ट के अन्तर्गत रिलीफ चाही गई है तथा प्रतिवादी नं0 1 वादी एवं प्रतिवादी नं0 2 लगायत 4 के पिता है। चूंकि विवादित आराजी पैतृक है तथा वर्तमान में प्रतिवादी नं0 1 की खातेदारी में दर्ज है ऐसी स्थिति में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के परिप्रेक्ष्य में मनन करनें के उपरान्त धारा 88 आरटीएक्ट की रिलीफ प्राप्त करनें के अधिकारी प्रतीत होते है। प्रतिवादी नं0 2 लगायत 4 ने	प्रतिवादी क्र0 1 के साथ वादी एवं प्रतिवादी क्र0 2 लगा0 4 का नाम सहखातेदारी में दर्ज करने हेतु डिक्री [illegible] 24 [illegible] प्रतिवादीगण [illegible]

[illegible]

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए

प्रकरण में इकबालिया जवाब प्रस्तुत किया है। किन्तु वर्तमान में प्रतिवादी नं0 2 लगायत 4 के स्वत्व विवादित आराजी में प्रमाणित नहीं है ऐसी स्थिति में प्रतिवादी नं0 2 लगायत 4 अपने स्वत्वों को त्यागनें की अधिकारी प्रतीत नहीं होती है। वकील उभयपक्ष एवं प्रतिवादी नं0 1 द्वारा उपस्थित होकर वाद धारा 88 आरटीएक्ट तक स्वीकार किये जानें की सहमति प्रकट की गई है तथा सहमति बाबत् आदेशिका पर हस्ताक्षर किये है। ऐसी स्थिति में वाद वादी धारा 88 आरटीएक्ट तक स्वीकार योग्य है।

लिहाजा वाद वादी आंशिक स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि विवादित आराजी वाके ग्राम जालिमपुरा तहसील दीगोद स्थित ख0नं0 109 रकबा 2.71 हे0, ख0नं0 114 रकबा 0.75 हे0, ख0नं0 176 रकबा 1.26 हे0, ख0नं0 176/450 रकबा 0.70 हे0, ख0नं0 665/175 रकबा 0.86 हे0 कुल किता 5 रकबा 6.28 हे0 भूमि में वादी अभिषेक पुत्र रमेशचन्द एवं प्रतिवादी नं0 2 लगायत 4 कमशः सीमा, रीमा, डिम्पल पुत्रियां रमेशचन्द को प्रतिवादी नं0 1 रमेशचन्द पुत्र बंशीलाल के साथ सहखातेदार घोषित किया जाता है। तद्नुसार अंतिम डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनॉक 24/01/2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(कैलाश चन्द्र शर्मा)
सहायक कलक्टर,
दीगोद

Scanned by CamScanner

अंतिम डिक्री मुकदमा

(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट दीगोद जिला कोटा

उनवान

अभिषेक शर्मा पुत्र रमेश चन्द शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी बगतरी तहसील दीगोद जिला कोटा

–वादी

बनाम

1. रमेश चन्द नन्दवाना पुत्र श्री बंशीलाल शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी बगतरी तहसील दीगोद जिला कोटा
2. श्रीमती सीमा पुत्री रमेशचन्द पत्नी नीरज जाति ब्राह्मण निवासी कांकरोली तहसील व जिला राजसमंद राज0
3. श्रीमती रीमा पुत्री रमेश पत्नी मुकेश जाति ब्राह्मण निवासी वासनी, जोधपुर राज0
4. श्रीमती डिम्पल पत्नी कान्ति पुत्री रमेश निवासी ग्राम हरदा, मध्यप्रदेश
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा

–प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53–88 आर0टी0एक्ट

मिसल नम्बर–53/16

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू मुझ कैलाश चन्द शर्मा आर. ए.एस. बहाजिरी श्री जगदीश शर्मा एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई रुबरु मिनजानिब श्री रामबाबू दाधीच एडवोकेट मुद्दालयह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि "वाद वादी आंशिक स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि विवादित आराजी वाके ग्राम जालिमपुरा तहसील दीगोद स्थित ख0नं0 109 रकबा 2.71 हे0, ख0नं0 114 रकबा 0.75 हे0, ख0नं0 176 रकबा 1.26 हे0, ख0नं0 176/450 रकबा 0.70 हे0, ख0नं0 665/175 रकबा 0.86 हे0 कुल किता 5 रकबा 6.28 हे0 भूमि में वादी अभिषेक पुत्र रमेशचन्द एवं प्रतिवादी नं0 2 लगायत 4 क्रमशः सीमा, रीमा, डिम्पल पुत्रियां रमेशचन्द को प्रतिवादी नं0 1 रमेशचन्द पुत्र बंशीलाल के साथ सहखातेदार घोषित किया जाता है।" तद्नुसार अंतिम डिक्री जारी की जाती है।

मेरे दस्तख्त व मोहर अदालत से आज दिनांक 24/01/2019 को जारी किया गया।

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुद्दई	रुपये	पैसे	मुदालयह	रुपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0

Scanned by CamScanner

स्टाम्प वजूह सबूत	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
महन्ताना वकील	0	0	महन्ताना वकील	0	0
खर्चा गवाहान	0	0	खर्चा गवाहान	0	0
बाबत इजराय हुक्मनामा	0	0	बाबत इजराय हुक्मनामा	0	0
मुत0	0	0	मुत0	0	0
मिलान	0	0	मिलान	0	0

खर्चा उभय पक्ष अपना–अपना वहन करेंगे।

(कैलाश चन्द शर्मा)
सहायक कलक्टर,
दीगोद

Scanned by CamScanner